प्रश्न - सत्यापन का महत्व (1)

Importance of Verification

Ans. साधारणतया यह माना जाता है कि प्रमाणन संकेतण की आधारशीला है किन्तु इससे सिर्फ यह पता चलता है कि कोई सम्पत्ति क्रय की गयी है। जबकि सत्यापन के अन्तर्गत सम्पत्तियों के अस्तित्व तथा उस पर संस्था का स्वामित्व है या नहीं इसका पता चलता है। सत्यापन से यह भी पता चलता है कि ऋणदाताओं का ग्रहणाधिकार है, तथा कौन सी सम्पत्तियां प्रभार मुक्त हैं? सत्यापन का संस्था एवं अंकेक्षक के लिये उतना ही महत्व है जितना मूल्यांकन का। संक्षेप में सत्यापन का महत्व निम्न से है।

I संस्था के लिए - (For the Institute) →

1. सम्पत्तियों की विद्यमानता अधिकारिता मूल्य एवं स्वामित्व आदि की सत्यता की जानकारी आसानी से हो जाती है।
2. छलकपट पर नियंत्रण आसानी से हो जाता है।
3. सत्यापित आर्थिक चिट्ठे द्वारा संस्था की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति प्रकट करना
4. सम्पत्तियों के दुरुपयोग की जानकारी मिलती है।
5. संस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी होती है।
6. सत्यापन के माध्यम से संस्था के प्रति विनियोजकों में विश्वास जगाया जा सकता है।
7. सत्यापन के माध्यम से संस्था की सम्पत्तियों की सुरक्षा की जा सकती है।
8. सम्पत्तियों के अधिमूल्यन व अवमूल्यन की जानकारी सत्यापन से होती है।
9. सत्यापन से सम्पत्तियों के प्रभार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
10. सत्यापन से संस्था के चालू कार्यों के विकास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(2)

For the Auditor →

II सत्यापन का महत्व अंकेक्षक के लिये →

(1) सत्यापन से अंकेक्षण कार्य में गुणवत्ता आ जाती है।

(2) अंकेक्षक यह निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है कि सम्पत्तियां जो चिट्ठे में दिखायी गयी है, उनका व्यापार में अस्तित्व है अथवा नही। दायित्व सही है अथवा नही। इसी आधार पर अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट देता है।

(3) सत्यापन से अंकेक्षक को संतुष्टि मिल जाती है कि उसके द्वारा किया गया अंकेक्षण कार्य ठीक है।

(4) सत्यापन से अंकेक्षक के दायित्व में कमी आजाती है, क्यो कि सत्यापन के द्वारा लेखों में विद्यमान छल-कपटों को रोका गया है। प्रबन्धक तथा कर्मचारी यह जान लेते हैं कि अंकेक्षक सम्पत्ति एवं दायित्वों का सत्यापन करेगा, तो वे कार्य सावधानी से करते हैं, जिससे त्रुटि की सम्भावना नही रहती, तथा कर्मचारी छल-कपट भी करने की कोशिश नही करते।

(5) सत्यापन से समस्त लेखों की सत्यता की जानकारी मिल जाती है।

(6) अंकेक्षक सम्पत्तियों तथा दायित्वों के विषय में आश्वस्त होकर प्रमाणित करता है कि बाहरी व्यक्तियों (ऋणदाता, विनियोजक, लेनदार आदि) को विश्वास दिलाता है कि अंकेक्षित खातों में व्यवसाय की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत की गयी है।

(7) सत्यापन द्वारा अंकेक्षक व्यवसाय के स्वामियों को सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान सम्भव करा सकता है।